फाइल सं.ए-41011/1/2020-स्था.VII/209

भारत सरकार

जल शक्ति मंत्रालय

जल संसाधन, नदी विकास एवं गंगा संरक्षण विभाग

केंद्रीय जल आयोग

****

5वां तल (दक्षिण), सेवा भवन,
आर.के. पुरम, नई दिल्ली-110066,
दिनांकः 31 जुलाई, 2021

कार्यालय ज्ञापन

विषय: केन्द्रीय जल आयोग में सलाहकारों की नियुक्ति के संबंध में।

केंद्रीय जल आयोग पेंशन मामलों, न्यायालय से संबंधित मामलों, आर टी आई मामलों, बाढ़ पूर्वानुमान, जल गुणवत्ता प्रयोगशाला कार्य, मूल्यांकन रिपोर्ट आदि जैसे विशिष्ट कार्य तथा समय-समय पर सौपे गए अन्य कार्यों के निष्पादन हेतु 25 परामर्शदाताओं (तकनीकी एवं गैर-तकनीकी) को हायर करना चाहता है। परामर्शदाता विभिन्न वरिष्ठ अधिकारियों/कर्मचारियों को उनके कार्यों के निर्वहन करने में सहायता देंगे। मुख्यालय और क्षेत्रीय कार्यालयों में सहज कार्यालयी क्रियाकलापों के निष्पादन हेतु परामर्शदाताओं की विभिन्न अनुभागों/कार्यालयों में, वहां की आवश्यकता के अनुसार तैनाती की जाएगी। सभी सेवानिवृत्त (तकनीकी और गैर तकनीकी) अधिकारी/कर्मचारी, जो साइंटिफिक, हाइड्रोमेट एवं कम्यूनिकेशन कैडर से कार्यालय अधीक्षक/सहायक/ उच्च श्रेणी लिपिक, तकनीकी अधिकारी के रूप में सेवानिवृत्त हुए हैं, उनसे अनुरोध है कि वे विहित प्रपत्र में केंद्रीय जल आयोग के संबंधित कार्यालयों और केंद्रीय जल आयोग (मुख्यालय) के संबंधित अनुभाग/इकाई को अपना आवेदन प्रस्तुत करें। संबंधित कार्यालय के माध्यम से आवेदन 27.08.2021 तक अवश्य भेज दें।

2. इच्छुक सभी सेवानिवृत्त अधिकारी/कर्मचारी, अपना आवेदन संलग्न प्रारूप में दिनांक 27.08.2021 तक संबंधित कार्यालय के माध्यम से जमा कर सकते हैं। अपूर्ण जानकारी के साथ प्राप्त आवेदनों पर विचार नहीं किया जाएगा। इस पर ध्यान दें कि प्रस्ताव में ऐसे व्यक्तियों के नाम होने चाहिए, जो अपने क्षेत्र के विशेषज्ञ हैं और वर्तमान रिक्ति के विपरीत नहीं होने चाहिए।

ज़ारी....पृष्ठ/2....

3. इसे आयोग की वेबसाइट पर भी डाला गया है।

संलग्नक: यथोक्त

(राजेश शर्मा)
अवर सचिव
दूरभाष : 29583287

सेवा में

1. सभी मुख्य अभियंता, केंद्रीय जल आयोग (मुख्यालय), नई दिल्ली.
2. सभी मुख्य अभियंता, क्षेत्रीय कार्यालय केंद्रीय जल आयोग,
3. सभी अवर सचिव,स्थापना.I/II/III/IV/V/VI/VIII/IX/X/ XI/XII/XIII/XIV, एपीएआर और सीएमएंडएमवी, केंद्रीय जल आयोग, नई दिल्ली।
4. सभी निदेशालयों/अनुभागों, केंदीय जल आयोग.
5. उपनिदेशक, एसएमडी - के.ज.आ. की वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु

प्रतिलिपि सूचनार्थ

1. मुख्य अभियंता (मा.सं।प्र.), केंद्रीय जल आयोग के प्रधान निजी सचिव, नई दिल्ली।
2. संयुक्त सचिव, केंद्रीय जल आयोग के प्रधान निजी सचिव।
3. सचिव, केंद्रीय जल आयोग के प्रधान निजी सचिव।
4. निदेशक, वित्त के निजी सचिव।

फाइल सं.ए-41011/1/2020-स्था.VII/210

भारत सरकार

जल शक्ति मंत्रालय

जल संसाधन, नदी विकास एवं गंगा संरक्षण विभाग,

केंद्रीय जल आयोग

****

5वां तल (दक्षिण), सेवा भवन,

आर.के. पुरम, नई दिल्ली-66.

दिनांक: 26 जुलाई, 2021

कार्यालय ज्ञापन

केंद्रीय जल आयोग पेंशन मामलों, न्यायालय से संबंधित मामलों, आर टी आई मामलों, बाढ़ पूर्वानुमान, जल गुणवत्ता प्रयोगशाला कार्य, मूल्यांकन रिपोर्ट आदि जैसे विशिष्ट कार्य तथा समय-समय पर सौंपे गए अन्य कार्यों के निष्पादन हेतु 25 परामर्शदाताओं (तकनीकी एवं गैर-तकनीकी) को हायर करना चाहता है। परामर्शदाता विभिन्न वरिष्ठ अधिकारियों/कर्मचारियों को उनके कार्यों के निर्वहन करने में सहायता देंगे। मुख्यालय और क्षेत्रीय कार्यालयों में सहज कार्यालयी क्रियाकलापों के निष्पादन हेतु परामर्शदाताओं की विभिन्न अनुभागों/कार्यालयों में, वहां की आवश्यकता के अनुसार तैनाती की जाएगी। सभी सेवानिवृत्त (तकनीकी और गैर तकनीकी) अधिकारी/कर्मचारी, जो साइंटिफिक, हाइड्रोमेट एवं कम्यूनिकेशन कैडर से कार्यालय अधीक्षक/सहायक/ उच्च श्रेणी लिपिक, तकनीकी अधिकारी के रूप में सेवानिवृत्त हुए हैं, उनसे अनुरोध है कि वे विहित प्रपत्र में केंद्रीय जल आयोग के संबंधित कार्यालयों और केंद्रीय जल आयोग (मुख्यालय) के संबंधित अनुभाग/इकाई को अपना आवेदन प्रस्तुत करें। संबंधित कार्यालय के माध्यम से आवेदन 27.08.2021 तक अवश्य भेज दें।

सामान्य नियम और शर्तें:-

क) उम्मीदवारों को अनुबंध के आधार पर काम की एक निश्चित अवधि के लिए या 01 वर्ष तक की अवधि के लिए काम पर रखा जाएगा, जिसे सलाहकार के 65 वर्ष की आयु प्राप्त करने तक, जो भी पहले हो, तक बढ़ाया जा सकता है।

ख) विभाग द्वारा बिना कोई कारण बताए एक माह का नोटिस देकर किसी भी समय अनुबंध समाप्त किया जा सकता है।

ग) सलाहकार के रूप में नियुक्ति किसी भी पद पर नियमित नियुक्ति का कोई अधिकार प्रदान नहीं करेगी।

घ) सलाहकार, उन्हें सौंपे गए कार्यों का निष्पादन करेंगे।

ज़ारी....पृष्ठ/2....

ङ) सलाहकार, अपने कार्यकाल के दौरान, सरकारी कर्मचारी पर लागू केंद्र सरकार के नियमों और विनियमों का अनुपालन करेंगे।

च) सलाहकार कैलेंडर वर्ष में 08 दिनों के अवकाश पाने के पात्र होंगे। एक कलैण्डर वर्ष के दौरान न ली गयी छुट्टी को आगामी कलैण्डर वर्ष में अग्रनीत नहीं किया जायेगा।

छ) काम के घंटे कार्यालय के आधिकारिक काम के घंटे होंगे लेकिन सलाहकार को सामान्य घंटों से अधिक काम करने की आवश्यकता पड़ सकती है।

ज) सलाहकार का चयन विभाग द्वारा गठित चयन समिति द्वारा किया जाएगा।

झ) सलाहकार के रूप में परिलब्धियां, अंतिम आहरित वेतन - पेंशन (अंतिम मूल वेतन + डीए - मूल पेंशन + डीए = परिलब्धियां जो सेवानिवृत्त सरकारी कर्मचारियों को उनकी पुनर्नियुक्ति पर दी जा सकती हैं) तक देय होंगी।

3. इच्छुक सभी सेवानिवृत्त अधिकारी/कर्मचारी अपना आवेदन संलग्न प्रपत्र में 27.08.2021 तक जमा कर सकते हैं। अपूर्ण जानकारी के साथ प्राप्त आवेदनों पर विचार नहीं किया जाएगा। आवेदन अवर सचिव, स्थापना-सात, पांचवा तल, सेवा भवन, आर.के. पुरम, नई दिल्ली-110066 पर भिजवाया जा सकता है अथवा estt7@nic.in पर ई-मेल करें।

संलग्नक: यथोक्त

(राजेश शर्मा)
अवर सचिव
टेली: 29583287

केंद्रीय जल आयोग

प्रोफार्मा

1.	आवेदक का नाम	
2.	जन्म तिथि	
3.	सेवानिवृत्ति के समय पदनाम	
4.	सेवानिवृत्ति की तिथि	
5.	सेवानिवृत्ति के समय आहरित अंतिम मूल वेतन	
6.	कार्यालय का नाम जहां से सेवानिवृत्त हुए	
7	पता	
8.	कार्य अनुभव संबंधी विवरण	
9.	अतिरिक्त जानकारी, यदि कोई हो	

घोषणा:- मैं घोषणा करता हूं कि ऊपर दिये गए विवरण मेरी जानकारी के अनुसार सत्य है और इसमें कुछ भी छुपाया नहीं गया है तथा मैं अपने चयन की स्थिति में, अपनी अभ्यर्थिता वापस नहीं लूंगा।

आवेदक के हस्ताक्षर:

नाम :

टेलीफोन: